

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री बाबूराम माँझी पिता शिबन माँझी निवासी ग्राम: सुगिया ( कुसुम टोला), थाना: माण्डू, जिला: रामगढ़(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सुगिया, थाना सं: 177, के (रैयती) खाता सं. 25 के अधीन प्लॉट सं. 84, 617, 673, 674, 675, 676 & 696, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि थाना सं: 177, ग्राम: सुगिया, (रैयती) खाता सं. 25 के अधीन प्लॉट सं. 84, 617, 673, 674, 675, 676 & 696, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्री बाबूराम माँझी पिता शिबन माँझी, ग्राम: सुगिया (कुसुम टोला), थाना: माण्डू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

राजिब  
8/3/15